Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

इस्लामुदीन बनाम कुणाल

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 23 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28-01-2026	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के जरिये प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/वादी के द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र यह जाहिर किया कि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने जवाब दावे के पैरा सं. 1 से 9 व 11 से 13 व 16 से 20, 22 व 24 के अंदर जो नये तथ्य अंकित किये है, उसका जवाब उल जवाब दिया जाना अति आवश्यक है, अतः संलग्न जवाबुल जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाने का निवेदन किया गया। विपरीत पक्ष अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा लिखित रूप से खण्डन किया जाकर जाहिर किया गया कि प्रार्थी/वादी द्वारा जो तथ्य उसकी जानकारी में थे को रिकॉर्ड पर नहीं ला पाया को अब जवाबुल जवाब के माध्यम से रिकार्ड पर लाने का प्रयास कर रहा है जिसका बचाव करने का उनके पास अवसर नहीं होगा, अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें। दोनों पक्षों को सुनकर, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है एवं वादी द्वारा इकरारनामे की विनिर्दिष्ट अनुपालना व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है व प्रार्थी/वादी के मुताबिक जवाब दावे में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा नये तथ्यों को दर्ज किया जाना बताया गया है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा स्वयं को वादग्रस्त संपत्ति का मालिक एवं कब्जे में होना बताया गया तथा वादी द्वारा जवाब दावे में उल्लेखित नये तथ्यों को जवाबुल जवाब के जरिये स्पष्ट किये जाने बाबत अनुमति चाही गई है, प्रकट हुऐ नये तथ्यों को जवाबुल जवाब के जरिये स्पष्ट किये जाने की विधि अनुसार अनुमति दिये जाने में कोई बाधा प्रकट नहीं होती है। प्रकरण अभी आरम्भिक स्तर पर है, दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का पूर्ण अवसर मौजूद है। अतः प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत जवाबुल जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। पत्रावली में तनकियात पृथक से कायम की गई, जिस स्तर पर उभयपक्ष ने राजीनामा होने की संभावना व्यक्त की गई, अतः सिविल प्रक्रिया	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	संहिता की धारा 89 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रकरण मध्यस्थता हेतु वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्र अजमेर (ए.डी.आर. सेंटर) को भिजवाया जाता है। पक्षकार दिनांक..... को वैकल्पिक विवादित केन्द्र अजमेर के समक्ष समय..... पर उपस्थित रहे। मध्यस्थता हेतु रैफरल आदेश पृथक से जारी किया जावे। पत्रावली इन्तजार मध्यस्थता परिणाम हेतु दिनांक.....को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर। SHAILENDRA KRISHANA PAREEK Digitally signed by SHAILENDRA KRISHANA PAREEK Date: 2026.01.31 15:33:10 +0530	